न्यायालय– विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण), हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : पृथ्वी पाल सिंह,
आर.जे.एस. (डी.जे. कैडर)
जमानत प्रार्थनापत्र सं. : 188/2026 (CIS NO. 188/2026)
CNR NO. : RJHG050002992026

जगदीश चन्द्र उर्फ जगु पुत्र श्री साहबराम निवासी ढाणी चक 2 एएमपी वार्ड नं. 8 गांव भाखरावाली पुलिस थाना संगरिया जिला हनुमानगढ।
––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, हनुमानगढ ।
––अप्रार्थी

जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 161/2026 पुलिस थाना हनु. टाउन
अपराध अंतर्गत धारा 8/15, 18 एनडीपीएस एक्ट

उपस्थिति :–
1. श्री महेन्द्र सिंह संधू अधिवक्ता– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. विशिष्ट लोक अभियोजक – राज्य की ओर से ।

–: आदेश :– **दिनांक : 29.04.2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त **जगदीश चन्द्र उर्फ जगु** की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत किया गया। नकल विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई । बहस जमानत प्रार्थना–पत्र उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी/अभियुक्त से संबंधित मामले में अपेक्षित विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	मामले का विशेष विवरण	
1.	एफ आई आर सं.	161/2026
2	संबंधित पुलिस थाना	हनुमानगढ़ टाउन
3.	जिला	हनुमानगढ़
4.	एफआईआर में दर्ज अपराध धारा	8/15, 18 एनडीपीएस एक्ट
5.	गिरफ्तारी की दिनांक	23.04.2026
	न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की दिनांक	24.04.2026

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.03.2026 को मोहर सिंह उ.नि. पीएस– हनुमानगढ टाउन मय मुलाजमान के गश्त करते हुए 12.20 पीएम पर मेगा हाईवे रोड पर लखूवाली से हनुमानगढ हनुमान मंदिर के आगे एक व्यक्ति एक बैग लिए खड़ा दिखाई दिया जो पुलिस गाड़ी को देखकर बरामदा से निकलकर चलने लगा। शक होने पर उसे डिटेन कर

नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कालूराम पुत्र श्री मोहनलाल होना बताया। उसके कब्जेशुदा बैग की तलाशी लिए जाने पर उसमें एक चददर व एक टीशर्ट मिली जिसके नीचे मिली एक नीले रंग की कपड़ा की थैली को चैक करने पर उसमें एक नीले रंग की प्लास्टिक की थैली के उपर एक प्लास्टिक की थैली में अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद हुई तथा नीले रंग की प्लास्टिक की थैली के अंदर भूरे रंग का चूरानुमा पदार्थ पोस्त मिला । जिनका वजन करने पर अफीम का वजन प्लास्टिक की थैली सहित 530 ग्राम हुआ तथा नीले रंग के कपडा की थैली व नीले रंग के प्लास्टिक की थैली सहित डोडा पोस्त चूरा का वजन 05 किलो 536 ग्राम हुआ। बरामदा मादक पदार्थ अपने कब्जा में रखने बाबत् लाईसेंस/परमिट पूछा, तो नहीं होना बताया। तत्पश्चात् उसे गिरफ्तार किया गया आदि। बाद मौका की समस्त कार्यवाही थाना पर वापिस आकर एफ.आई.आर. नं. 161/2026 अन्तर्गत धारा 8/15 18 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान रामकेर उनि पीएस–हनुमानगढ टाउन को सुपुर्द किया गया। अनुसंधान के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त जगदीश चन्द्र उर्फ जग्गु को गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित करवाया गया है। प्रकरण अभी अनुसंधान के प्रक्रम पर है। पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड निम्नलिखित है:–

क्र.सं.	मुकदमा नंबर	धारा एवं पुलिस थाना	नतीजा अदालत
1	508/09	341 323 आईपीसी पीएस–संगरिया	–
2	231/2000	341 323 324 आईपीसी पीएस–संगरिया	–
3	87/89	341 323 आईपीसी पीएस– बढागुढा सिरसा	–

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा झूठा व बेबुनियाद बनाया गया है। मामले में मुख्य अभियुक्त कालूराम की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त गिरफ्तारी की दिनांक से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त अपने परिवार में कमाने वाला अकेला है। प्रार्थी के न्यायिक अभिरक्षा में रहने से प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान हो रहा है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण मे काफी समय लगने की संभावना है। प्रकरण में समस्त गवाहान अभियोजन पक्ष के खास व्यक्ति हैं, जिन्हें बाद जमानत डराये धमकाये जाने का कोई अन्देशा नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किया जावे।

4. इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर आरोप है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की।

5. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में दिनांक 14.03.2026 को अभियुक्त कालूराम के कब्जेशुदा बैग के अंदर प्लास्टिक की थैली मे 530 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम तथा एक नीले रंग की प्लास्टिक की थैली में 05 किलो 536 ग्राम डोडा पोस्त चूरा बरामद होने पर उसे गिरफ्तार किया गया। मामले में अनुसंधान के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त जगदीश चन्द्र द्वारा अभियुक्त कालूराम से डोडा चूरा पोस्त मंगवाया जाना पाए जाने पर स्थानीय पुलिस द्वारा उसे गिरफतार किया गया है। केस डायरी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अन्य कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। हस्तगत मामले में मुख्य अभियुक्त कालूराम की जमानत माननीय उच्च न्यायालय से हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला सह–अभियुक्त से भिन्न होना नहीं माना जा सकता। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त गिरफतारी की दिनांक 23.04.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है जो करीब 06 दिवस से अभिरक्षा में है। प्रकरण अभी अनुसंधान के स्तर पर है तथा प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मैं मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उपयुक्त समझता हूॅ।

–:आदेश :–

6. अतः प्रार्थी/अभियुक्त जगदीश चन्द्र उर्फ जगु की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस न्यायालय के संतोषप्रद पचास हजार रूपये का स्वयं का मुचलका एवं पचीस–पचीस हजार रूपये की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

Sd/–
(पृथ्वी पाल सिंह)

7. आदेश आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Sd/–
(पृथ्वी पाल सिंह)